

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

विभिन्न स्क्रैप वस्तुओं के निपटान (हमारा संदर्भ: NROL/ निपटान/2016-17)

Disposal of various scrap items.

(Our Reference. : NROL/Disposal/2016-2017)

26-05-2016

द्वारा आमंत्रितः
वैज्ञानिक ई एंड प्रमुख
भारतीय मानक ब्यूरो
उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोगशाला, (NROL)
बी-69, फेज VII, एस ए एस नगर
औद्योगिक फोकल प्वाइंट, मोहाली की 160051
फोन: 0172-2236722
मेल आईडी: nrol@bis.org.in

INVITED BY:

Scientist E & Head BUREAU OF INDIAN STANDARDS Northern Regional Office Laboratory, (NROL)

B-69, Phase VII, SAS Nagar Industrial Focal Point, Mohali-160051 Ph: 0172-2236722

mail id: nrol@bis.org.in

Subject: Disposal of various scrap items.

Dear Sir,

- 1. Quotation(s) is/are invited for disposal of the various items as listed in Annexure on 'as is where is basis' as per the terms and conditions mentioned hereunder.
- 2. Quotation(s) in a sealed cover superscribed "Quotations(s) for Scrap" should reach the undersigned latest by 1500h on 27.6.2016. Any quotation received after this date and time will not be entertained. The quotations will be opened at 1700h on the same day in the presence of interested bidders or their authorized agents/representatives. Such Bids shall remain valid for a period of 90 days from the date of opening.
- 3. The above material can be inspected before submission of the quotation on any working day between 1100h and 1500h.
- 4. The rates must be quoted on weight (kg) basis only as indicated item wise. Bidder may quote for all or part of the items (categories of scrap) mentioned in Annexure.
- 5. Each bidder has to deposit a sum of Rs.20,000/- by Demand Draft in favour of the Bureau of Indian Standards payable at Chandigarh a earnest money (EMD) along with their quotation. Quotations received without EMD shall be summarily rejected.
- 6. The successful bidder(s) shall be required to deposit within a week of awarding contract, a sum of Rs.20,000/- as Caution Deposit for performance/obligation arising out of the contact. Failure to deposit the Caution Deposit by the due date will lead to cancellation of the contract and forfeiture of the EMD.

The EMD of Rs.20,000/- received from the unsuccessful bidders will be returned.

- 7. The weighing of the unloaded truck and the truck loaded with material shall be done in the presence of BIS officials at the authorized weigh bridge/Dharmkanta unless there is arrangement for weighing in laboratory itself.
- 8. The labour for removal of scrap, weighing, loading/unloading etc. shall be provided by the successful bidder.
- 9. The material shall be lifted from the place of storage at the cost of the successful bidder.
- 10. 50% of the approximate cost of the scrap shall be deposited before weighing and the balance shall be deposited before lifting the related material.

- 11. The material will have to be lifted on the same day of weighment on any working day (Monday to Friday) between 1100h to 1600h except Public Holidays failing which the Bureau is not responsible for any loss, theft, pilferage etc.
- 12. If the material is not lifted within 10 days of intimation of the offer, the same shall stand rescinded and no claim whatsoever will be entertained and material will be disposed off to the next highest bidder. In the event of the same, EMD and Caution Deposit will not be refunded.
- 13. The Bureau reserves the right to dispose to reduce/cancel/add fresh items on all quotation(s) submitted in whole or in part without assigning any reasons whatsoever.
- 14. VAT shall be payable extra as per applicable rates.
- 15. TCS shall be collected from the successful bidder at the prevailing rate and form 'C' and 'D' shall not be provided to this effect.
- 16. The Bidders are required to furnish the Permanent Account Number (PAN)/TIN of the firm allotted by the Income Tax Department.
- 17. All communications in this regard shall be made with the undersigned.

Thanking you,

(RAJEEV SHARMA)

Scientist 'E' & Head

हमारा संदर्भ :NROL/ निपटान/2016-2017

26-05-2016

विषय: विभिन्न स्क्रैप वस्त्ओं के निपटान

श्रीमान.

- नीचे उल्लेख नियमों और शर्तों के अनुसार संलग्नक में सूचीबद्ध विभिन्न वस्तुओं (जहाँ जिस रूप में है)
 के निपटान के लिए कोटेशन आमंत्रित कर रहे हैं
- 2. बोलियाँ एक सीलबंद लिफाफे में जिस पर "स्क्रैप के लिए कोटेशन" लिखा हो अधोहस्ताक्षरी के पास 27.6.2016 को 1500 बजे तक पहुँच जानी चाहिए। इस तिथि और समय के बाद प्राप्त कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा। कोटेशन बोलीदाताओं या उनके अधिकृत एजेंट / प्रतिनिधियों की उपस्थिति में उसी दिन 1700h पर खोली जाएँगी। यह बोलियाँ खोलने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेंगी।
- उक्त सामग्री का निरीक्षण 1100h और 1500h के बीच किसी भी कार्य दिवस पर कोटेशन के प्रस्तुत करने से पहले किया जा सकता है।
- 4. रेट आइटम के अनुसार वजन (किलो) के आधार पर किया जाना चाहिए। बोलीदाता अनुबंध में वर्णित वस्तुओं (स्क्रैप की श्रेणियों) के सभी या भाग के लिए बोली लगा सकता है।
- 5. कोटेशन के साथ में रु 20,000 /- की राशि ई एम डी देय भारतीय मानक ब्यूरो, चंडीगढ़ के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा प्रत्येक बोली लगाने वाले को जमा करने है। ईएमडी के बिना प्राप्त कोटेशन सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिए जायेंगे ।
- 6. सावधानी जमा (Caution Deposit) के रूप में , सफल बोलीदाता को ठेका देने के एक सप्ताह के भीतर , रु 20,000 /- की राशि जमा करना आवश्यक होगा । नियत तारीख तक सावधानी जमा (Caution Deposit) करने में विफलता की स्तिथि में , ईएमडी जब्त की जाएगी एवं अनुबंध रद्द किया जायेगा । असफल बोलीदाताओं से प्राप्त हुई रु 20,000 /- ई एम डी राशि लौटा दी जाएगी ।
- 7. बिना लोड एवं सामग्री से लोड हुए ट्रक का वज़न अधिकृत Dharmkanta पर बीआईएस अधिकारियों की उपस्थिति में किया जाएगा अगर प्रयोगशाला में वजन के लिए उचित व्यवस्था नहीं हो ।
- 8. स्क्रैप, वजन, लोडिंग / अनलोडिंग आदि को हटाने के लिए श्रम सफल बोलीदाता द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
- 9. सफल बोलीदाता अपने खर्च पर सामग्री भंडारण की जगह से उठाएगा ।
- 10. स्क्रैप की अनुमानित लागत का 50% वजन से पहले जमा किया जाएगा और शेष राशि संबंधित सामग्री उठाने से पहले जमा किया जाएगा।

- 11. सामग्री तुलाई के ही दिन 1100h से 1600h(सोमवार से शुक्रवार) सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़ कर किसी भी कार्य दिवस उठानी होगी। ब्यूरो किसी भी नुकसान, चोरी आदि के लिए जिम्मेदार नहीं है।
- 12. सामग्री अगर पेशकश की सूचना के 10 दिनों के भीतर नहीं उठाई जाती है तो वह उठाने नहीं दी जाएगी और कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा और सामग्री अगले सबसे अधिक बोली लगाने के वाले को दे दी जाएगी। ऐसी साथिति मे जमा ईएमडी लौटाया नहीं जाएगा।
- 13. निपटान के लिए, ब्यूरो सामग्री कम करने को/ रद्द / कोई कारण बताए बिना पूरे या हिस्से में प्रस्तुत सभी उद्धरण (ओं) पर ताजा आइटम जोड़ने के लिए अधिकार स्रक्षित रखता है।
- 14. वैट (VAT) लागू दरों के अनुसार अतिरिक्त देय होगा।
- 15. टीसीएस (TCS) प्रचलित दर पर सफल बोली लगाने से एकत्र की जाएगी और 'सी' और 'डी' के प्र्फ़ोमा नहीं दिया जाएगा।
- 16. बोलीदाताओं को आयकर विभाग द्वारा आवंटित स्थायी खाता संख्या (PAN)/ फर्म की TIN प्रस्तुत करना आवश्यक हैं।
- 17. इस संबंध में सभी पत्राचार अधोहस्ताक्षरी के साथ किया जाए। धन्यवाद, (राजीव शर्मा) वैज्ञानिक 'ई' एवं प्रमुख

अनुबंध /ANNEXURE

क्रमांक	स्क्रैप की श्रेणी/	इकाई (किलो)	प्रति किलो की दर
S.No.	Category of Scrap	Unit(kg)	Rate per kg
1.	पीवीसी विद्युत-रोधित केबल्स एल्यूमिनियम		
	कंडक्टर के साथ		
	PVC Insulated Cables with		
	Aluminum conductors		

VAT will be payable extra at applicable rates	VAT	will	be	payable	extra	at	applicable	rates
---	-----	------	----	---------	-------	----	------------	-------

वैट लागू दरों के रूप में अतिरिक्त देय होगा

Signature/ हस्ताक्षर ्	
Name <i> </i> नाम	
Address/ पता	

Seal/ सील

Date / दिनांक: